राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक एफ 70(02)ग्रावि/नरेगा/प्रशि./राज्य2015-16 जयपुर, दिनांकः 25 MAY 2022

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेट के लिए पैनल तैयार किये जाने एवं सूचना एवं रोजगार अभियान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में सहयोग बाबत् ।

महोदय,

महात्मा गांधी नरेगा कार्यों पर श्रमिकों की उपस्थिति समय पर हो, उन्हें पूरे टास्क की जानकारी दी जाकर उनसे पूरा काम लिया जाए ताकि उन्हें पूरी मजदूरी मिल सके साथ ही उपयोगी परिसम्पतियों का निर्माण हो, जिससे गाँवों का विकास हो सके। इसी उद्देश्य से योजनान्तर्गत कार्यस्थल पर कार्यों के प्रभावी कियान्वयन के लिए मेट को नियुक्त किया जाता है। संलग्न विभागीय पत्र दिनांक 19.08.2015 एवं 20.05.2022 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर मेट पैनल तैयार किया जावे।

इन मेटों के कौशल एवं क्षमता संवर्धन हेतु नियमित प्रशिक्षण आवश्यक है। चयनित मेटों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व कार्यक्रम अधिकारी का है। अतः वे सुनिश्चित करें कि किसी भी अप्रशिक्षित मेट का नियोजन नहीं हो तथा पैनल में चयनित मेटों को क्षमतावर्द्धन हेतु नियमित विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जावे।

इस क्रम में सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान के माध्यम से मेट प्रशिक्षण के संबंध में प्राप्त पत्र संलग्न कर लेख है कि सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान द्वारा मेट एवं सामाजिक अंकेक्षण के लिए राज्य के प्रत्येक ब्लॉक से चार व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस हेतु प्रशिक्षण के संचालन एवं प्रशिक्षण उपरांत अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(के.के.पाठक)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निदेशक सामाजिक अंकेक्षण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
5. श्री पारस बंजारा, सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान।
6. कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।

आयुक्त,ईजीएस